संख्याः 5/2026/आई/17787/2026

प्रेषक,

दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–46/2020/400/35-3-2020-19(01)/2019, दिनांक 11 नवम्बर, 2020 द्वारा जनपद-श्रावस्ती की ग्रामीण पेयजल परियोजना कलकलवां ग्रामीण पाईप पेयजल योजना (एक अदद) हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत रू. 95.04 लाख (रू. पंचानबे लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश के रूप में रू. 57.02 लाख (रू. संतावन लाख दो हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2. श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त परियोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष देय, राज्यांश की धनराशि रू. 38.02 लाख (रू. अडतीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि का कोषागार से आहरण कर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत पी०एफ़०एम०एस० के लिए सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) के बचत खाता संख्या:40596353470, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ में हस्तांतरित कराने तथा व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं०	विकास खंड का नाम	परियोजना का नाम	पी.एफ.ए.डी./एस.एल.एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	स्वीकृत धनराशि (राज्यांश 40 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
		कार्यदायी संस्था–उ0 प्र0 जल निगम			
1	जमुनहां	कलकलवां ग्रामीण पाईप पेयजल योजना (एक अदद)	95.04	57.02	38.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.सं०	विकास खंड का नाम	परियोजना का नाम	पी.एफ.ए.डी./एस.एल.एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	स्वीकृत धनराशि (राज्यांश 40 प्रतिशत)
		योग	95.04	57.02	38.02

1- सन्दर्भित शासनादेश संख्या:46/2020/400/35-3-2020-19(01)/2019 दिनांक 11 नवम्बर, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- जनपद द्वारा पूर्व में जारी केन्द्रांश के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध-कराये जाने तथा जिलाधिकारी की संस्तुति के क्रम में राज्यांश के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के पूर्व जिले के सक्षम अधिकारी से उपरोक्त परियोजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

4- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध ढंग से स्वीकृत लागत में ही पूरा किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुये कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्यस्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि निर्गत की जायेगी।

7- प्रशासकीय विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

10- प्रशासकीय विभाग/ जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे प्रशासकीय विभाग/ जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

12- प्रशासनिक विभाग/जिलाधिकारी द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त , 2014 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

13- प्रशा0 विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रशा0 विभाग/ जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

15- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 38,02,000/- (रुपये अड़तीस लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान **संख्या:**40 **लेखा शीर्षक** 4575061020300 जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-216-X-2025-26, दिनांक- 05 मार्च, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव

संख्या: 5/2026/आई/17787/2026 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोंडा।
4- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
11- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल, गोंडा।
12- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती।
13- स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन अनुभाग-1|
14- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(दुर्गा प्रसाद)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।